

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

--: अनापत्ति प्रमाण -पत्र :-

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का पत्रांक ER-1/RNC/TL/JCP/4110 दिनांक 09.09.2020 के माध्यम से 400 KV D/C Latehar-PTPS संचरण लाईन निर्माण हेतु पतरातू अंचल के मौजा-कोतो डाडीडीह एवं रोचाप में Indin Teligraph Act 1885 के तहत 3.33 हे० जंगल-झाड़ी भूमि का Right to use की अनुमति प्रदान करने संबंधी अधियाचना की गई है। Right to use निमित्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के अधियाचना के आलोक में भूमि विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No.	Village Name	Thana No	Khata No	Plot No.	JJ Land in Hac.
1	Koto	18	41	1	0.91
2	Koto	18	41	223	0.73
3	Daridih	19	-	521	1.14
4	Rochap	4	-	754	0.55
Total-					3.33 (8.23 Acre)

कुल रकबा 3.33 हे० (8.23 एकड़) गैरमजरूआ खास किस्म जंगल-झाड़ी आदि है। वर्णित भूमि पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा Latehar-PTPS संचरण लाईन निर्माण हेतु Right to Use के लिए इस शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान की जाती है कि भूमि पर कोई पक्का/कच्चा संरचना का निर्माण नहीं करेंगे, भूमि का स्वरूप नहीं बदलेंगे तथा रास्ता, नदी आदि में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा Latehar-PTPS संचरण लाईन हेतु उपयोग में ली जाने वाली उपरोक्त भूमि का स्वामित्व राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पास रहेगा।

अधियाचित भूमि रकबा 3.33 हे० (8.23 एकड़) अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है। यदि इस भूमि के अपयोजन की आवश्यकता हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेंगे।

विश्वासभाजन

६०१-

उपायुक्त,
रामगढ़।

दिनांक : २२/०९/२०२०

ज्ञापांक : १३८४/रा०,

- प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पतरातू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

२२/०९/२०२०
उपायुक्त,
रामगढ़।